न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 100/23
(जीसीएमएस नम्बरः– 2023/166) निर्णय दिनांकः 31-01-2025

1.	अलाबलाया	पिसरान कालूखां जाति मुसलमान निवासी शेरूवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2.	अलाजिवाया	
3.	बीरबल खां	
4.	मु बसी	

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. गुरूदेवसिह पुत्र मक्खन सिंह जाति रायसिख निवासी चक 1 सीडीवाई जुगतसिंह की ढाणी तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16–03–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री हरीराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 16–03–2017 जिसके द्वारा अपीलांट की अराजी काश्त से पुख्ता आवंटन की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट्स के पिता कालूखां पुत्र बलदादखां को ग्राम शेरूवाला के खसरा नम्बर 353 में 27 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 343/409/3 में 22 बीघा 4 बिस्वा कुल तादादी 50 बीघा भूमि आरजी काश्त आवंटन हुई जिस पर आवंटन के दिन से अपीलांटस के पिता एवं वर्तमान में अपीलांटस काबिज काश्त है। उपरोक्त अराजी काश्त का प्रतिवर्ष नवीनीकरण अपीलांट्स के पिता द्वारा करवाया जाता रहा। चक बन्दी आने पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 27—04—2006 को चक 5 ए. एम. के मुरब्बा नम्बर 74/5 के किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 10 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 74/6 के किला नम्बर 1 ता 15 तादादी 15 बीघा कुल तादादी 25 बीघा कमाण्ड भूमि आरजी काश्त से पुख्ता आवंटन कर दी जिसका आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। अपीलांट्स के पिता को उपरोक्त भूमि आवंटन के पश्चात अपीलांट्स ने अधिशेष भूमि चक 5 एएम के मुरब्बा नम्बर 74/5 के किला नम्बर 3 ता 8, 12 ता 15 तादादी 10 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 74/6 के किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 10 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 74/13 के किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 10 तादादी 7 बीघा कुल तादादी 27 बीघा भूमि बालिग पुत्र आंवटन के तहत प्रार्थना पत्र आंवटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और दौराने विचाराधीन प्रार्थना पत्र में सरप्लस भूमि में से चक 5 एएम के मुरब्बा नम्बर 74/05 के किला नम्बर 3 ता 8, 12 ता 15 तादादी 10 बीघा भूमि विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर उपरोक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन कर दी गई। उक्त आवंटन की अपीलें लम्बित रहने के कारण आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16—03—2017 को अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बगैर एकतरफा तौर पर वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। अपीलांट्स आज भी वादगत भूमि पर काबिज काश्त है एवं

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच किये बिना ही एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश से वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। वादगत भूमि अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने शुद्ध रूप से अराजीराज मानते हुए अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादगत भूमि के बाबत लम्बित अन्य आवेदनों के निस्तारण पश्चात प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् यह तथ्य स्वीकृत है कि आराजी जैर मार्च 1984 में विशेष आवंटन के गजट में प्रकाशित हो चुकी थी जिस

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में आवेदन आमंत्रित करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का एकमात्र आवेदन होने से अराजी जैर का आवंटन दिनांक 18–03–1999 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर विशेष आवंटन किया गया एवं आवंटित रकबे की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने का आदेश प्रदान किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन की अपील अपीलांट्स द्वारा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर में प्रस्तुत की गई। उक्त अपील दिनांक 14–07–2000 को खारिज कर दी गई। दिनांक 14–07–2000 को जारी आदेश की निगरानी अपीलांट्स के पिता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी भी दिनांक 19–01–2011 को खारिज की जा चुकी है। उक्त निगरानी के विरूद्ध अपीलांट्स के पिता/अपीलांट्स ने किसी भी उच्चतर न्यायालय में चुनौती नहीं देने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर आवंटन अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 35 प्रतिशत राशि जमा करवाते हुए वादगत भूमि का आवंटन आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी कर दिया है। उक्त आवंटन की समस्त किश्तें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट्स का विशेष आवंटन के तहत किसी प्रकार का कोई प्रार्थना प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे अपीलांट्स को प्रस्तुत अपील पेश करने की लॉकस स्टेण्डाई ही हासिल नहीं है। अपीलांट्स ने अपने टीसी आवंटन की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है ना ही टीसी आवंटन से पुख्ता आवंटन नहीं किये जाने के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के उपरान्त मियांद बाहर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2020 पेज 569, आरआरडी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2018 पेज 503 एवं आरबीजे 2022 पेज 645 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहाँ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–03–2017 के विरूद्व अपील दिनांक 09–05–2017 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है तथा अपील प्रस्तुत करने में अत्याधिक विलम्ब नहीं होने की स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की वैधानिकता की जॉच से पूर्व अपीलांट्स के वादग्रस्त भूमि के आवंटन की पात्रता/अधिकारों का वर्णन किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/05 के किला नम्बर 3 ता 8, 12 ता 15 तादादी 10 बीघा भूमि राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन में विशेष आवंटन की श्रेणी के तहत नोटिफाई होने पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का एकमात्र आवेदन होने के कारण वादगत भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर विशेष आवंटन आंवटित कर दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलांट्स के पिता द्वारा अपील व निगरानी भी प्रस्तुत की गई जिसमें दोनों अपीलीय न्यायालयों ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को बहाल रखा। उसके पश्चात किसी प्रकार के विवाद नहीं होने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवंटन अधिकारी द्वारा मौके की जांच करते हुए एवं आवंटन की प्रकिया की जांच करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के पश्चात वादगत भूमि का आवंटन आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी कर दिया गया। अपीलांट्स द्वारा वादगत भूमि के विशेष आवंटन की श्रेणी में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नोटिफाई होने के पश्चात ना तो वादगत भूमि को डिनोटिफाई करवाने की कोई कार्यवाही की गई ना ही वादगत भूमि बाबत विशेष आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय अपीलांट्स स्वयं अपने पैरो पर ही नहीं खड़े थे, अर्थात तत्समय अपीलांट्स के वादगत भूमि बाबत विशेष आवंटन के तहत आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं थे। ऐसी स्थिति में उक्त खारिज प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार की कोई राहत प्रस्तुत अपील के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के विशेष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त करते हुए व यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि अन्य किसी को आवंटन नहीं हाने, अन्य श्रेणी में रिजर्व नहीं होना, मौके पर खाली शुद्व रकबाराज होने के आधार पर आवंटन किये जाने योग्य पाये जाने पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स की अपील खारिज योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–03–2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31-01-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर